



संख्या-37/2019/2678/77-3-2019-24बजट/19

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2019

विषय- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण को समय पूर्व भुगतान किये जाने पर हडको को देय राशि रू0 939,64,86,137.00 के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-6388/यूपीडा/08/147, दिनांक 26.12.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-20-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु हडको से लिये गये ऋण के समय पूर्व भुगतान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 96094.00 लाख में से परियोजना के लिए भूमि क्रय हेतु हडको से लिये गये ऋण को समय पूर्व भुगतान किये जाने पर हडको को भुगतान हेतु धनराशि रू0 939,64,86,137.00 (रूपये नौ सौ उनतालिस करोड चौसठ लाख छियासी हजार एक सौ सैतिस मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं:-

(1) उक्त धनराशि यूपीडा के खाते में नहीं अपितु हडको को सीधे प्रदान की जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक ) अनुभाग 1-के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2019/बी-2-665/दस-2019-244(द्वितीय)/2019 दिनांक 26.12.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-007 के लेखा शीर्षक "2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य-20-यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु हडको से लिये गये ऋण के समय पूर्व भुगतान हेतु-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-899/दस-19 दिनांक 30.12.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

रजनी कान्त पाण्डेय  
अनु सचिव।

संख्या -37/2019/2678(1)/77-3-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 एवं 2
7. गार्ड फ़ावली।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय  
अनु सचिव।